



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16022026-270168
CG-MH-E-16022026-270168

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670।

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 670।

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 3660 दिनांक 14/08/2025 के संबंध में, नीचे उल्लिखित अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में
सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

मुंबई, 10 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 का 11 ((जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “भुसावल- बडनेरा- वर्धा 3rd & 4th लाइन (313 Kms)” “विशेष रेलवे परियोजना” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	प्राधिकृत अधिकारी	तालुका
1	उपविभागीय अधिकारी, मलकापूर	मलकापूर व नांदुरा
2	उपविभागीय अधिकारी, खामगाव	शेगाव व खामगाव

[फा. सं. G197/BSL-BD-WR 3rd & 4th Line/Corrigendum/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 3660 DATED 14/08/2025, THE SCHEDULE MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Mumbai, the 10th February, 2026

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 704(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Bhusaval-Badnera-Wardha 3rd & 4th Line (313 Kms)**” in **Buldhana District** mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka
1	Sub-Divisional Officer, Malkapur	Malkapur & Nandura
2	Sub-Divisional Officer, Khamgaon	Shegaon & Khamgaon

[F. No. G197/BSL-BD-WR 3rd & 4th Line/Corrigendum/7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)